न्यायालय सिविल जज (जू०डि०)/जे०एम० डुमरियागंज, सिद्धार्थनगर।

उपस्थितः– उमम ज़ाहिद (U.P.3654) ___ (उ०प्र० न्यायिक सेवा)

UPSD180014022022

दण्ड वाद संख्या – 913/2022

(वाद संस्थापन तिथि – 14.11.2022)

राज्य

.........(अभियोजन)

बनाम

1. श्यामलाल विश्वकर्मा पुत्र सहदेव विश्वकर्मा,
2. सहदेव विश्वकर्मा पुत्र सीताराम विश्वकर्मा (मृतक),
3. धनीराम विश्वकर्मा पुत्र श्यामलाल विश्वकर्मा,
4. धर्मवीर विश्वकर्मा पुत्र श्यामलाल विश्वकर्मा; साकिनान धनखरपुर, थाना भवानीगंज, जिला सिद्धार्थनगर।

.........(अभियुक्तगण)

विद्वान सहायक अभियोजन अधिकारी......................................श्री रामेंद्र पटेल।

बचाव पक्ष की ओर से विद्वान अधिवक्ता......................................श्री अनिल कुमार यादव।

मुकदमा अपराध संख्या – 124/2022
धारा– 323, 504, 506 भा०दं०सं०
थाना भवानीगंज, जनपद सिद्धार्थनगर।

दिनांक–10.01.2025

निर्णय

1– यह आरोप–पत्र मुकदमा अपराध संख्या–124/2022 में अभियुक्तगण श्यामलाल विश्वकर्मा पुत्र सहदेव विश्वकर्मा, सहदेव विश्वकर्मा पुत्र सीताराम विश्वकर्मा, धनीराम विश्वकर्मा पुत्र श्यामलाल विश्वकर्मा एवं धर्मवीर विश्वकर्मा पुत्र श्यामलाल विश्वकर्मा के विरुद्ध धारा–323, 504, 506 भा०दं०सं० के तहत विचारण हेतु थाना भवानीगंज, जिला सिद्धार्थनगर की पुलिस द्वारा न्यायालय के

Digitally signed by UMAM ZAHID
Date: 2025.01.10 17:58:14 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

समक्ष प्रेषित किया गया है। आरोप–*पत्र के अनुसार प्रस्तुत मुकदमे में कुल 04 अभियुक्त नामजद हैं जिनमें से अभियुक्त सं० 2 सहदेव विश्वकर्मा पुत्र सीताराम विश्वकर्मा की मृत्यु हो चुकी है तथा न्यायालय द्वारा उसके विरुद्ध मुकदमा उपशमित कर दिया गया है।*

2– संक्षेप में, अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि दिनांक 03.10.2022 को समय रात्रि 08:00 बजे पुरानी रंजिश को लेकर वादी मुकदमा के भाई रिषिराम पुत्र स्व० संतराम को भद्दी–भद्दी गाली–गलौज देते हुए लात, मूका, घूंसा, लाठी, डंडा से श्यामलाल पुत्र सहदेव, सहदेव पुत्र सीताराम, धनीराम पुत्र श्यामलाल एवं धर्मवीर पुत्र श्यामलाल ने मिलकर मारा–पीटा तथा जान से मारने की धमकी दिये। ये लोग वादी मुकदमा के घर पर आकर मारे हैं।

3– उक्त कथानक के प्रकाश में घटना की प्रथम सूचना रिपोर्ट अंतर्गत धारा–323, 504, 506 भा०दं०सं०, मु०अ०सं०–124/2022 दिनांक 04.10.2022 को वादी मुकदमा राधेश्याम विश्वकर्मा पुत्र स्व० संतराम विश्वकर्मा की ओर से दर्ज करायी गई।

4– विवेचक द्वारा विवेचना के उपरान्त अभियुक्तगण श्यामलाल विश्वकर्मा पुत्र सहदेव विश्वकर्मा, सहदेव विश्वकर्मा पुत्र सीताराम विश्वकर्मा, धनीराम विश्वकर्मा पुत्र श्यामलाल विश्वकर्मा एवं धर्मवीर विश्वकर्मा पुत्र श्यामलाल विश्वकर्मा के विरुद्ध अन्तर्गत धारा–323, 504, 506 भा०दं०सं० आरोप–पत्र न्यायालय में विचारण हेतु प्रेषित किया गया है।

5– अभियुक्तगण द्वारा न्यायालय से अपनी–अपनी जमानतें करायी गईं। तदोपरान्त अभियुक्तगण को आहूत कर आवश्यक नकलें देने के उपरान्त अभियुक्तगण उपरोक्त के विरुद्ध न्यायालय द्वारा अन्तर्गत धारा–323, 504, 506 भा०दं०सं० दिनांक–06.12.2022 को आरोप विरचित किया गया। आरोप अभियुक्तगण को पढ़कर सुनाये व समझाये गये। अभियुक्तगण ने आरोपों से इनकार किया एवं विचारण की माँग की।

6– अभियोजन की ओर से मौखिक साक्ष्य के रूप में अपने कथानक के समर्थन में साक्षी PW–1 राधेश्याम विश्वकर्मा (वादी मुकदमा) एवं PW-2 रिखीराम विश्वकर्मा को शपथ पर परीक्षित कराया गया है। अभियोजन द्वारा इसके अतिरिक्त किसी अन्य साक्षी को परीक्षित कराने हेतु बल नहीं दिया गया, जिस कारण न्यायालय द्वारा अभियोजन के साक्ष्य का अवसर समाप्त करते हुए अभियुक्तगण श्यामलाल विश्वकर्मा पुत्र सहदेव विश्वकर्मा, धनीराम विश्वकर्मा पुत्र श्यामलाल विश्वकर्मा एवं धर्मवीर विश्वकर्मा पुत्र श्यामलाल विश्वकर्मा का बयान अंतर्गत धारा–313 दं०प्र०सं० अंकित किया गया। अभियुक्तगण द्वारा अपने बयान में घटना के सम्बन्ध में कुछ कहने से इन्कार किया गया है, साक्षीगण के बयान के सम्बन्ध में भी कुछ कहने से इन्कार किया है, सफाई साक्ष्य देने तथा घटना के सम्बन्ध में और कुछ कहने से भी इन्कार किया है।

7– अभियोजन द्वारा अभिलेखीय साक्ष्य के रूप में प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रति मय तहरीर वादी मुकदमा, थानाध्यक्ष भवानीगंज को प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने हेतु प्रेषित प्रार्थनापत्र की प्रति (प्रदर्श क–1), केस डायरी डिटेल्स, जी.डी. डिटेल्स, सी.एच.सी. डुमरियागंज (बेवां) का इंजरी फॉर्म एवं नक्शा नजरी घटनास्थल पत्रावली पर दाखिल किया गया है। बचाव पक्ष द्वारा अभियोजन प्रपत्रों की मौलिकता को स्वीकार किया गया है।

8– मैंने उभयपक्षों को सुना एवं पत्रावली का सम्यक् परिशीलन किया।

9– **साक्षी PW–1 राधेश्याम विश्वकर्मा पुत्र संतराम विश्वकर्मा** ने अपनी मुख्य परीक्षा में सशपथ बयान किया है कि "मेरे पिता की मृत्यु हो चुकी है। घटना की रिपोर्ट थाने में मैंने की थी। मेरे द्वारा दी गई तहरीर पत्रावली में संलग्न है जो मेरे हस्ताक्षर में है। पुलिस द्वारा गलती से श्यामलाल को वादी मुकदमा बना दिया गया है। इस मुकदमे का वादी मुकदमा मैं राधेश्याम विश्वकर्मा पुत्र संतराम विश्वकर्मा हूँ। मैं ज्यादा पढ़ा–लिखा नहीं हूँ। इसलिए घटना की तारीख मुझे याद नहीं है। घटना रात 08:00 बजे की है। मेरे भाई रिक्खीराम को मुल्जिम श्यामलाल, सहदेव, सीताराम, धनीराम व धर्मवीर ने गाली–गलौज करते हुए मारे–पीटे तथा जान से मारने की धमकी दी जिसकी रिपोर्ट मैंने अगले दिन थाने में कराई थी। पत्रावली में संलग्न तहरीर वही हैं जिस पर मेरे हस्ताक्षर हैं जिस पर प्रदर्श क–1 डाला गया।"

10– **साक्षी PW–1 राधेश्याम विश्वकर्मा पुत्र संतराम विश्वकर्मा** द्वारा बचाव पक्ष की प्रतिपरीक्षा में कथन किया गया है कि "मेरे भाई रिक्खीराम के साथ मुल्जिम श्यामलाल, सहदेव, सीताराम, धनीराम व धर्मवीर को अपनी आँखों से मारपीट करते, गाली–गलौज व जान से मारने की धमकी देते नहीं देखा था। मेरे भाई रिक्खीराम ने जो बताया मैंने उसी के आधार पर रिपोर्ट दर्ज करायी थी। घटना के सम्बन्ध में दरोगा जी द्वारा मेरा कोई बयान नहीं लिया गया था।"

11– इस प्रकार, साक्षी PW–1, जो कि वादी मुकदमा भी है, ने जहाँ अपनी मुख्य परीक्षा में घटना की तारीख याद नहीं होने, मुल्जिमान द्वारा अपने भाई रिक्खीराम के साथ गाली–गलौज, मारपीट व जान से मारने की धमकी देने का कथन किया है। वहीं प्रतिपरीक्षा में प्रतिपरीक्षा में मुल्जिमान द्वारा अपने भाई रिक्खीराम के साथ मारपीट करते, गाली–गलौज व जान से मारने की धमकी देते हुए स्वयं अपनी आँखों से नहीं देखने का कथन किया गया है। उसके भाई ने जो बताया था उसी के आधार पर मुकदमा दर्ज कराने का कथन किया है। अतः उपरोक्त साक्षी घटना का चक्षुदर्शी नहीं है तथा उसका साक्ष्य अभियोजन कथानक को साबित करने के लिए पर्याप्त नहीं प्रतीत होता है।

12– **साक्षी PW–2 रिक्खीराम विश्वकर्मा पुत्र संतराम विश्वकर्मा** ने अपनी मुख्य परीक्षा में सशपथ बयान किया है कि "घटना की तारीख व समय मुझे याद नहीं है। घटना रात के लगभग 9–10 बजे की होगी। घटना के समय चारों तरफ अंधेरा था। अंधेरे के कारण मैं मुल्जिमान को पहचान नहीं पाया था। हाजिर अदालत श्यामलाल, धर्मवीर, धनीराम ने मेरे साथ मारपीट व गाली–गलौज व जान से मारने की धमकी नहीं दी है। शक के आधार पर मेरे बड़े भाई ने उपरोक्त मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया था। उपरोक्त मुल्जिमान निर्दोष हैं। मोटरसाइकिल से गिरने पर मुझे चोटें आई थीं जिसका डॉक्टरी मुआयना सरकारी अस्पताल में कराया।" इस स्तर पर गवाह को पक्षद्रोही घोषित किया गया।

13– **साक्षी PW–2 रिक्खीराम विश्वकर्मा पुत्र संतराम विश्वकर्मा** को प्रतिपरीक्षा में धारा–161 का बयान पढ़कर सुनाया गया जिससे उसने इन्कार किया। बताया कि "पुलिस ने बयान कैसे लिखा मुझे नहीं पता। घटना अंधेरी रात की होने के कारण मुल्जिमान को नहीं पहचान पाया। उपरोक्त मुल्जिमान ने मेरे साथ न तो मारपीट व गाली–गलौज की और न ही जान से मारने की धमकी दी थी। उपरोक्त मुल्जिमान के निर्दोष होने के कारण उपरोक्त मुल्जिमान से मेरा सुलह हो गया है।" इस प्रकार, साक्षी PW–2 ने अपनी मुख्य परीक्षा में घटना की तारीख व समय याद नहीं होने, घटना रात के लगभग 9–10 बजे की, घटना के समय चारों तरफ अंधेरा होने तथा अंधेरे के कारण मुल्जिमान को नहीं

पहचान पाने का कथन किया है। साथ ही उपरोक्त मुल्जिमान द्वारा अपने साथ मारपीट करने, गाली–गलौज देने व जान से मारने की धमकी देने से इन्कार किया है। शक के आधार पर अपने बड़े भाई द्वारा मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने का कथन किया है। मुल्जिमान को निर्दोष बताया है। मोटरसाइकिल से गिरने पर चोटें आने का भी कथन किया है। प्रतिपरीक्षा में भी अपने मुख्य परीक्षा के बयान को दोहराया है। अतः उपरोक्त साक्षी का बयान अभियोजन कथानक से बिल्कुल विपरीत है तथा उससे अभियोजन कथानक का समर्थन नहीं होता है।

14– साक्षी PW–1 राधेश्याम विश्वकर्मा पुत्र संतराम विश्वकर्मा, जो कि वादी मुकदमा भी है, ने अपने बयान में मुल्जिमान को घटना कारित करते हुए स्वयं अपनी आँखों से नहीं देखा है। कथित मुल्जिमान द्वारा घटना उसके भाई के साथ कारित की गयी है तथा जो उसके भाई द्वारा बताया गया है उसी के आधार पर उसने मुकदमा दर्ज कराया है। वह मामले का चक्षुदर्शी साक्षी नहीं है तथा उसका साक्ष्य अभियोजन कथानक को साबित करने के लिए पर्याप्त नहीं प्रतीत होता है। वहीं दूसरी ओर साक्षी PW–2 रिक्खीराम विश्वकर्मा पुत्र संतराम विश्वकर्मा, जिसके साथ घटना कारित की गयी है, ने अपने बयान में मुल्जिमान द्वारा घटना कारित करने से इन्कार किया है तथा घटना के समय अंधेरा होने के कारण उसने मुल्जिमान को पहचान पाने से भी इन्कार किया है। इसके अलावा शक के आधार पर अपने भाई द्वारा मुकदमा दर्ज कराये जाने, मोटरसाइकिल से गिरने से चोट आने का कथन करते हुए मुल्जिमान को निर्दोष बताया गया है। इस आधार पर उसे पूर्व में पक्षद्रोही घोषित किया गया है। ऐसे में जबकि साक्षी PW–2, जो कि मामले में पीड़ित भी है और उसके बताये अनुसार ही साक्षी PW–1 ने मुकदमा दर्ज कराया है, के द्वारा ही जब विरोधाभासी बयान दिया गया है तो साक्षी PW–1 (वादी मुकदमा) का बयान भी विश्वसनीय नहीं रह जाता। इसके अतिरिक्त सहायक अभियोजन अधिकारी द्वारा उक्त गवाहों से की गई मुख्य परीक्षा व बहस के दौरान ऐसा कोई तथ्य संज्ञान में नहीं लाया गया, जिससे अभियोजन कथानक को बल मिलता हो।

15– प्रस्तुत प्रकरण में परीक्षित साक्षियों के बयानों से घटना का संदिग्ध व असत्य होना प्रतीत होता है। अभियोजन पक्ष, अभियुक्तगण श्यामलाल विश्वकर्मा पुत्र सहदेव विश्वकर्मा, धनीराम विश्वकर्मा पुत्र श्यामलाल विश्वकर्मा एवं धर्मवीर विश्वकर्मा पुत्र श्यामलाल विश्वकर्मा के विरुद्ध प्रकरण को युक्तियुक्त साक्ष्यों के आधार पर संदेह से परे साबित करने में सफल नहीं रहा है। अतः अभियुक्तगण उपरोक्त को दोषी सिद्ध किए जाने का आधार पर्याप्त नहीं है।

आदेश

16– अभियुक्तगण श्यामलाल विश्वकर्मा पुत्र सहदेव विश्वकर्मा, धनीराम विश्वकर्मा पुत्र श्यामलाल विश्वकर्मा एवं धर्मवीर विश्वकर्मा पुत्र श्यामलाल विश्वकर्मा को दंड वाद संख्या–913/2022, मुकदमा अपराध संख्या–124/2022, अन्तर्गत धारा–323, 504, 506 भा०दं०सं०, थाना भवानीगंज, जिला सिद्धार्थनगर के आरोपों से दोषमुक्त किया जाता है। अभियुक्तगण जमानत पर हैं। उनके व्यक्तिगत बंधपत्र निरस्त किये जाते हैं एवं प्रतिभूगण को उनके दायित्वों से उन्मोचित किया जाता है।

17– अभियुक्तगण उपरोक्त को आदेशित किया जाता है कि वे धारा–437A दं०प्र०सं० के प्रावधानों के अनुरूप मु० 20,000/– रु० का व्यक्तिगत बंधपत्र व इतनी ही राशि के एक–एक विश्वसनीय प्रतिभू इस उद्देश्य हेतु प्रस्तुत करें कि यदि इस आदेश के विरुद्ध माननीय अपीलीय

न्यायालय में अपील की जाती है एवं अभियुक्तगण को तलब किया जाता है तो वे वहाँ उपस्थित होंगे। यह बंधपत्र छः माह की समयावधि तक प्रभावी रहेगा। तदनुसार पत्रावली बाद आवश्यक कार्यवाही नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

दिनांक–10.01.2025

(उमम ज़ाहिद)
सिविल जज (जू०डि०)/जे०एम०,
डुमरियागंज, सिद्धार्थनगर
जे.ओ.कोड–UP3654

उक्त निर्णय एवं आदेश आज खुले न्यायालय में मेरे द्वारा हस्ताक्षरित एवं दिनांकित कर सुनाया गया।

दिनांक–10.01.2025

(उमम ज़ाहिद)
सिविल जज (जू०डि०)/जे०एम०,
डुमरियागंज, सिद्धार्थनगर
जे.ओ.कोड–UP3654